मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग- मध्य प्रदेश शासन हेतु जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (District Public Health Nurse Officer) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन 2025

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र जमा करने की अंतिम तिथि
05/2025/ 04.09.2025	24.10.2025	31.10.2025

भाग : "A"

महत्वपूर्ण निर्देश

A. आवेदन पत्र भरने संबंधित आवश्यक निर्देश :-

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग हेतु जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (District Public Health Nurse Officer) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 25.09.2025 से दिनांक 24.10.2025 तक www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकते हैं।
3. जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (District Public Health Nurse Officer) के पदों हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे । किसी भी तरह के किसी भी प्रकार का मैन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन-पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।

B. आयु की गणना :-

1. आयु की गणना 01 जनवरी 2026 के संदर्भ में की जाएगी ।
2. आयु की गणना हेतु वही जन्मतिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की 10 वीं (High School) की अंक-सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र मे उक्त अंक-सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम तथा जन्मतिथि का ही उल्लेख करें।

C. शुल्क संबंधी निर्देश :-

1. उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट / डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा । इसके अतिरिक्त परीक्षा शुल्क एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से नगद स्वीकार किया जाएगा । शुल्क विवरण हेतु परिशिष्ट -तीन का अवलोकन करें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि भुगतान का विवरण तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक का ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किए जाएंगे ।
2. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश / आधिक्य भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।

D. त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश :-

1. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 01.10.2025 से 26.10.2025 तक ऑनलाइन ही किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार प्रति सत्र 50 त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। अभ्यर्थी त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं । ध्यान रखे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।
2. अभ्यर्थी यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा, अतः वे ऑनलाइन आवेदन-पत्र अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी नाम के अतिरिक्त कोई त्रुटि होती है, तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
3. त्रुटि सुधार अवधि में श्रेणी सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन-पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता हैं तो उसे आवेदन शुल्क के अंतर की राशि (देखें परिशिष्ट-तीन) का भुगतान त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त करना होगा, किन्तु अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में आवेदन शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
4. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी श्रेणी / वर्ग (अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) / लिंग (महिला / पुरुष) / दिव्यांगता / शासकीय सेवक / जन्म तिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा। श्रेणी / वर्ग / जन्मतिथि परिवर्तन विषयक समस्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में आयोग द्वारा आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी अभ्यावेदन अमान्य किए जाएंगे । अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि वे शासन के अद्यतन आदेशों के

अनुसार संबंधित श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित है। गलत जानकारी की स्थिति में उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी।

1. **शैक्षणिक अर्हता -** एम.एस.सी.नर्सिंग /बी.एस.सी. नर्सिंग /पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन में नियमित पाठ्यक्रम / लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में नियमित पाठ्यक्रम से स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा

   अनुभव - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा) के अधीन नर्सिंग सेवा में नर्सिंग ऑफिसर/ वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर/ सिस्टर ट्यूटर/ मेट्रन/ नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-2 के नियमित पद पर 10 वर्ष का अनुभव (संलग्न परिशिष्ट - 4 अनुसार)

   रोज़गार पंजीयन -

   (अ) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

   (ब) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोज़गार पंजीयन, आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यत: प्रस्तुत करना होगा।

   (स) मध्यप्रदेश के निवासी ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत हैं, को निम्नानुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता से छूट रहेगी :-

   - शासकीय सेवकों हेतु :- विभाग / कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।
   - अशासकीय सेवकों हेतु :- संस्थान / प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण - पत्र ।

   उपरोक्त प्रमाण - पत्र साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

2. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता /अनुभव / वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है, जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अत: अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे उस विभाग को अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते हैं।
3. उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24.10.2025 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले अभ्य र्थी पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

1. चयन / परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जो भी संशोधन / निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों / निर्देशों को चयन परिणाम में शामिल करके चयन परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी।
2. चयन / परीक्षा के संबंध में यदि भर्ती नियम, आयु, मूल निवासी, आरक्षण संबंधी संशोधन शासन द्वारा किए जाते हैं, तो इस संबंध में यथा समय संशोधित सूचना जारी करने के उपरांत शासन द्वारा समय -समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा।
3. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है । चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतीक्षा सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख संबंधित विभागों को आयोग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। नियुक्ति की कार्यवाही शासन के संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। मुख्य सूची / प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी नियुक्ति के संबंध में आयोग से पत्राचार न करें।
4. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य / दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं, इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक SLP 8764/2023, WP5596/2024 एवं ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित अन्यत याचिकाओं के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा। ओ.बी.सी. आरक्षण से संबंधित याचिकाओं के लंबित रहने की अवधि में परीक्षा / चयन परिणाम सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ.प्र./एक दिनांक 29.09.2022 के अनुसार मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13% के आधार पर जारी किया जाएगा।

1. विज्ञापन के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएँ, संशोधन आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। अत: समस्त अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करें तथा उपलब्ध सूचनाओं का लाभ लें। आयोग द्वारा इस संदर्भ में प्राप्त ई-मेल / पत्राचार / दूरभाष संदेश के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।
2. आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र एवं अन्य समस्त दस्तावेजों का संधारण

नहीं किया जाता है । अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से मात्र मिलान का कार्य आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किया जाता है। अंतिम चयन परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों एवं प्रतीक्षासूची में नामांकित अभ्यर्थियों के समस्त दस्तावजों को चयन सूची अनुसार विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है। दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जाता है। अत: अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जानकारी आयोग द्वारा उपलब्ध करवायी जाना संभव नहीं है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं किया जाएगा । सूचना के अधिकार के अंतर्गत इस संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों को अंतरित किया जाएगा।

4. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

5. विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएँ एवं परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएंगा । अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने E-mail Address तथा मोबाइल नम्बर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें ।

6. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है । किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अत: किसी भी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यावहारिक रूप से असंभव है । अत: ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम तथा पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन हेतु जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (District Public Health Nurse Officer) के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (District Public Health Nurse Officer)																			
रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश शासन के संविदाकर्मियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्यप्रदेश के मूलनिवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
UR	SC	ST	OBC	EWS	Total	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	LD	VH	HH	MD
3	1	3	4	1	12	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के संदर्भ में प्रचलित याचिका के अनुक्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक एफ 07-46/2021/आ एक दिनांक /.प्र.29.09.2022 द्वारा चयन परिणाम मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13 % के आधार पर जारी किया जाना है। इस संदर्भ में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग , मध्य प्रदेश शासन द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मुख्य रसायनज्ञ के पद हेतु मुख्य भाग 87% तथा प्रावधिक भाग 13 % का पद विभाजन निम्नानुसार रहेगा -:																			
(मुख्य भाग 87%)																			
3	1	3	2	1	10	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
(प्रावधिक भाग 13%)																			
2*	..	..	2	..	2	0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
* काल्पनिक																			
Abbreviations: UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, OBC- Other Backward Classes EWS-Economically Weaker Sections LD - Locomotor Disability, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped , MD- Multiple Disability																			

टीप - 1. प्रावधिक भाग 13% हेतु अभ्यर्थी साक्षात्कार में प्रावधिक रूप से सम्मिलित होंगे एवं माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने के उपरांत वह अपने संबंधित वर्ग (अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित) में रोके गए 13 प्रतिशत पद के विरूद्ध ही चयनित होंगे न की पूर्व घोषित हो चुके 87 प्रतिशत पद के विरूद्ध ।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु वैद्य प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है ।

दो पद का विवरण

01	पद का नाम	:	जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (District Public Health Nurse Officer)
	विभाग का नाम	:	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
	श्रेणी	:	राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
	पद स्थिति	:	अस्थायी
	वेतनमान	:	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
	पद के मुख्य कर्तव्य	:	मातृ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं प्रशिक्षण

तीन अनिवार्य अर्हताएं :

शैक्षणिक अर्हता - एम.एस.सी.नर्सिंग /बी.एस.सी. नर्सिंग /पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन में नियमित पाठ्यक्रम / लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में नियमित पाठ्यक्रम से स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा

अनुभव - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा) के अधीन नर्सिंग सेवा में नर्सिंग ऑफिसर/ वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर/ सिस्टर ट्यूटर/ मेट्रन/ नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-2 के नियमित पद पर 10 वर्ष का अनुभव (संलग्न परिशिष्ट - 4 अनुसार)

रोज़गार पंजीयन - (अ) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन

में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।

(ब) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोज़गार पंजीयन, आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय में वांछित दस्तावेज भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।

(स) मध्यप्रदेश के निवासी ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत हैं, को निम्नानुसार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार कार्यालय में पंजीयन की अनिवार्यता से छूट रहेगी :-

- शासकीय सेवकों हेतु :- विभाग / कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण - पत्र ।
- अशासकीय सेवकों हेतु :- संस्थान / प्रतिष्ठान द्वारा जारी सेवा में होने का प्रमाण - पत्र ।

उपरोक्त प्रमाण - पत्र साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

विशेष:

(1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24.10.2025 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।

(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड / पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/ पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र / सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/ सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

(3) विदेशी उपाधिधारक यदि उनकी अंकसूची में पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख नहीं है तो अपने पूर्णांक एवं प्राप्तांक के संबंध में शपथ-पत्र संलग्न करें ।

टीप-

(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा ऑनलाइन परीक्षा की स्थिति मे ऑनलाइन परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(4) मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है अथवा दिव्यांगजन है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं।

(5) मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा

परीक्षा शुल्क में विहित छूट का लाभ देय होगा।

(6) मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति में विहित छूट का लाभ देय होगा।

चार मध्य प्रदेश सिविल सेवाऐं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा । परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छ: आयु सीमा: 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो

सात आयु संगणना तिथि 01.01.2026

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए परिशिष्ट -एक देखें।

आठ अधिवार्षिकी आयु :- मध्य प्रदेश विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी "मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम 1967" में समय-समय पर जारी संशोधन उपरांत निहित प्रावधान अनुसार निर्धारित की जाएगी।

नौ चयन प्रक्रिया :-

1. चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा । अभ्यर्थियों की संख्या 500 से कम होने की स्थिति में अर्हताकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर निम्नानुसार अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों -

(क) इस हेतु सर्वप्रथम अनारक्षित श्रेणी अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग की जाएगी इसमें सामान्य श्रेणी के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया जाएगा, जिन्होंने आरक्षित श्रेणी की किसी निर्धारित छूट का लाभ नहीं लिया हो।

(ख) यदि किसी आरक्षित श्रेणी में साक्षात्कार के लिए आवश्यक अधिकतम संख्या से अर्ह आवेदकों की संख्या कम या बराबर हो तो शार्ट लिस्टिंग नहीं की जाएगी, सभी अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

(ग) श्रेणीवार विज्ञापित हॉरिजॉन्टल श्रेणी महिला, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों की निर्धारित संख्या में आवश्यक पूर्ति करने के लिए इस श्रेणी के अभ्यर्थयों को अतिरिक्त रूप से साक्षात्कार हेतु अर्ह किया जाएगा। शार्ट लिस्टिंग स्तर पर इस पूर्ति को करने के लिए उस श्रेणी के डाउन मेरिट अभ्यर्थियों को हटाया नहीं जाएगा।

(घ) श्रेणीवार / प्रवर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार हेतु शार्ट लिस्टेड किए जाने वाले अधिकतम अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार होगी-

वर्ग / प्रवर्गवार पदों की संख्या अनारक्षित,	साक्षात्कार के लिए अर्हकारी

अनु.जनजाति, अनु.जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. एवं महिलाओं/दिव्यांगजन एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु पृथक-पृथक विज्ञापित पद संख्या	परीक्षाओं की मेरिट सूची अनुसार बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या
एक पद के लिए	12 उम्मीदवारों तक
2 और 3 पदों के लिए	24 उम्मीदवारों तक
4 से 6 पदों के लिए	36 उम्मीदवारों तक
7 से 9 पदों के लिए	48 उम्मीदवारों तक
10 तथा उससे अधिक पदों के लिए	05 गुना उम्मीदवारों तक
नोट - प्रत्येक श्रेणी में अंतिम अर्ह अभ्यर्थी के बराबर प्राप्तांक/प्रात्रता प्राप्त करने वाले समस्त अर्ह अभ्यर्थयों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।	

साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी । साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा । अनारक्षित हेतु 41% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे ।

2. अभ्यर्थियों की संख्या 500 से अधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी । लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/ उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा । अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा । लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे ।
3. लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय आयोग की वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किया जाएगा ।
4. चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंम्प्यूटर त्रुटि / लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है ।

दस आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट -तीन का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in पर प्रकाशित किए जाएंगे । अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें ।

बारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(1) आयु सीमा की छूटें परिशिष्ट-1

(2) अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश परिशिष्ट -2

(3) आवेदन-पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां परिशिष्ट-3

(4) अनुभव प्रमाण-पत्र का प्रारूप परिशिष्ट- 4

(राखी सहाय)
सचिव

परिशिष्ट -1

आयु सीमा में छूट (विज्ञापन के रिक्ति विवरण में उपलब्ध आरक्षित / अनारक्षित पदों हेतु)

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

मध्य प्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 4 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ दिव्यांगजन/ शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

नोट :- उक्त आयु-सीमा में छूट विज्ञापन अंतर्गत रिक्ति विवरण में उपलब्ध आरक्षित पदों पर ही होगी ।

- ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष के अध्यधीन रहेगी ।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों मे से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :-

(01) उपरोक्त परिशिष्ट - "1" मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

(03) जिस आरक्षित श्रेणी हेतु पद विज्ञापित नहीं हैं उन्हें आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी किन्तु आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

परिशिष्ट - 2

अर्हताकारी दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक निर्देश

1. उक्त पद के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24.10.2025 तक या इसके पूर्व अर्हता धारित करना अनिवार्य हैं, जिसकी पुष्टि हेतु अभिलेख आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्व आयोग को प्रस्तुत किए जाना आवश्यक होगें । यदि अभिलेखों की जॉंच उपरांत यह पाया जाता है कि आवेदक की वांछित अर्हता ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि को पूर्ण की गई है तो उसकी उम्मीद्वारी स्वतः निरस्त मानी जाएगी । उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार्य योग्य नहीं होगा ।

2. ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक या उसके पूर्व का, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । यदि आयोग द्वारा ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जाकर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त मानी जाएगी । उक्त संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा । यदि निर्धारित तिथि के बाद जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है जो आयोग द्वारा उसे मान्य नहीं किया जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी ।

3. ऑफलाइन जारी जाति प्रमाण-पत्रों में जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, जारी करने वाले अधिकारी के पदनाम की सील, जाति का नाम, प्रकरण क्रमांक एवं जाति प्रमाण-पत्र में गोल सील अंकित नहीं होने पर आवेदक साक्षात्कार दिवस को उक्त प्रमाण-पत्र मान्य करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हैं, तो ऐसे अभ्यावेदन मान्य नहीं किए जाकर साक्षात्कार की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी ।

4. अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म प्रस्तुत करने के पूर्व अपने जाति प्रमाण-पत्र में सभी पूर्तियों की जॉंच करने के उपरांत ही ऑनलाइन फार्म भरें, यदि सभी पूर्तियां पूर्ण न हो तो तत्काल ऑनलाइन जाति प्रमाण-पत्र बनवाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें ।

5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र में आवेदक का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, पुरूष/महिला की उप श्रेणी का आवेदक के मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान करने पर त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी ।

6. ऑनलाइन फार्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी प्रस्तुत किए जाने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी । उक्त संबंध में साक्षात्कार दिवस को त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तुत अभ्यावेदन अमान्य किए जाकर नस्तीबद्ध किए जाएंगे । अतः आवेदक ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार की अवधि में ऑनलाइन फार्म में त्रुटिसुधार कर लें ।

7. ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही समस्त आवेदकों को अनुप्रमाणन पत्र, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा अन्य वाछित दस्तावेज आदि की हार्ड कॉपी की स्व-प्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय में भिजवाने की अंतिम तिथि तक रोज़गार कार्यालय द्वारा जारी जीवित पंजीयन क्रमांक प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं । आयोग को दस्तावेज भेजने की तिथि तक किसी कारणवश आवेदक यदि मध्यप्रदेश रोज़गार कार्यालय के जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आवेदकों की साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकेगी । इस संबंध में आवेदक का किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं किया जाएगा

8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक EWS पात्रता का लाभ लेने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध होने पर ही उक्त श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन पर प्रस्तुत करें ।

संलग्न दस्तावेजों की सूची

परिशिष्ट प्रपत्र 01 -

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर

विज्ञापन क्रमांक-: 05/2025 दिनांक 04.09.2025

परीक्षा का नाम:- जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (District Public Health Nurse Officer) के पदों की पूर्ति हेतु परीक्षा 2025

आवेदक का नाम .... -: रोल नम्बर .... -:

स.क्र.	दस्तावेजों का विवरण	संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ क्रमांक	संचयी योग
1.	**उपस्थिति पत्रक – 01 मूल प्रति ।**	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
2.	**व्यक्तिगत विवरण – 01 मूल प्रति एवं 05 छायाप्रति (05 छायाप्रति पृथक से प्रस्तुपत करना है एवं छायाप्रति में नम्बरिंग नहीं करना है।)**	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
3.	**अनुप्रमाणन फार्म - 03 मूल प्रति ।**	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
4.	**घोषणा पत्र (किसी भी चयन/परीक्षा में विवर्जित (डिबार) नहीं होने संबंधी) – 01 मूल प्रति ।**	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
5.	**हाईस्कूल की अंकसूची ।**	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
6.	**हायर सेकण्डरी की अंकसूची ।**	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
7.	स्नातक / संबंधित अर्हता की समस्तक वर्षो की अंकसूचियाँ एवं उपाधि। एम.एस.सी.नर्सिंग /बी.एस.सी. नर्सिंग /पोस्ट बेसिक बी.एस.सी नर्सिंग के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासन में नियमित पाठ्यक्रम / लोक स्वास्थ्य प्रबंधन में नियमित पाठ्यक्रम से स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
8.	अनुभव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा) के अधीन नर्सिंग सेवा में नर्सिंग ऑफिसर/ वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर/ सिस्टर ट्यूटर/ मेट्रन/ नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड-2 के नियमित पद पर 10 वर्ष का अनुभव	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
9.	**मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में मूल निवासी/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति । (प्रमाण पत्र में गोलसील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है ।)**	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
10.	**आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, म.प्र. शासन का जाति प्रमाण पत्र । विवाहित महिलाओं के मामले में स्वयं के नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र । (जाति प्रमाण पत्र में जारी करने का दिनांक, गोल सील एवं प्रकरण क्रमांक का उल्लेख होना आवश्यक है । अन्य राज्य के जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।) म.प्र. शासन की सेवाओं हेतु निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगे) (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24.10.2025 अथवा उसके पूर्व जारी)**	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
11.	**मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर श्रेणी के अंतर्गत न आने संबंधी प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र– 01 मूल प्रति । (ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24.10.2025 अथवा उसके पूर्व जारी)**	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
12.	**मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में ई.डब्लू.एस. श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24.10.2025 अथवा उसके पूर्व जारी वित्तीय वर्ष 2025-26 का वैध ई.डब्लू.एस. प्रमाण पत्र की प्रति ।**	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
13.	**दिव्यांग होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि का या पूर्व की तिथि का जीवित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के**	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....

	http:\\www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे)		
14.	महिला आवेदकों हेतु विवाहोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
15.	शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति । अनापत्ति प्रमाण पत्र न हो तो परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24.10.2025 अथवा उसके पूर्व विभाग में अनापत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र की प्रति संलग्नत करें ।	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
16.	मध्य प्रदेश की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र – 01 मूल प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
17.	भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24.10.2025 अथवा उसके पूर्व के भूतपूर्व सैनिक होने संबंधी दस्तातवेज की प्रति एवं सेवावधि के विवरण पत्रक की प्रति ।	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
18.	अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र । कोई एक (आधार-कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/पेन कार्ड/बैंक पासबुक की प्रति/शासकीय कर्मचारी होने पर नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र की प्रति/ड्रायविंग लायसेंस)	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
19.	न्यायालयीन प्रकरण होने की स्थिति में अनुप्रमाणन फार्म के पृष्ठ 4 कंडिका 16 एवं पृष्ठ 5 पर कंडिका 17 में अंकित न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में दस्तारवेजों की छायाप्रति । (03 प्रति)।	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
20.	आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों के मुख्य भाग (87 प्रतिशत) एवं प्रावधिक भाग (13 प्रतिशत) के आधार पर अभ्यंर्थी "अभिवचन" पत्र की पूर्ति कर आयोग कार्यालय में साक्षात्कार दिवस को अनिवार्यत: प्रस्तुत करना सुनिश्चिरत करेंगे।	पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
		पृष्ठ क्रमांक तक .... से	....
		कुल संलग्न दस्तावेजों की संख्या -:	....

आवेदक के हस्ताक्षर

* उक्त प्रारूप में संलग्न प्रमाण-पत्र विज्ञापन के परिशिष्टि-दो में यथा निर्धारित तिथियों या उसके पूर्व जारी होना अनिवार्य है । इसका पालन न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वत: समाप्त हो जाएगी।

परिशिष्ट - 3

<u>ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी</u>

1- ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगें

1. www.mponline.gov.in
2. www.mppsc.mp.gov.in

2- अभ्यर्थी mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, तथा www.mppsc.mp.gov.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3- अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते है।

4- अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।

<u>फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-</u>

1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते है तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखे स्पष्टत: दिख रही हो।
4. टोपी हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं है। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाए। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।

5- ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ मे अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।

7- आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात <u>उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी</u> जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुन: फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा ।

अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्रsubmit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतांन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टत: उल्लेखित होगा। अभ्यर्थी उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- त्रुटि सुधार सुविधा :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 01.10.2025 से 26.10.2025 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत

अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 250 तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु रु. 500 निर्धारित है अतः छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रुपए 250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ध्यान रखे कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/ वर्ग (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/ दिव्यांगता आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा ।

9- आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश:-

(1) आयोग की वेबसाइट www.mppsc.mp.gov.in के Download Formate लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक, एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छाया प्रति करायें।

(2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही है (त्रुटि होने पर विहित अवधि मे त्रुटि सुधार कर लें (देखें बिन्दु-8)। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)

(3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 05/2025 दिनांक 04.09.2025

जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (District Public Health Nurse Officer), लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र

	प्रति,
	सचिव
प्रेषक:	मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग,
अभ्यर्थी का नाम	रेसीडेंसी एरिया
तथा पता	इंदौर (मध्य प्रदेश) पिन - 452001

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/ विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

(4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 31.10.2025 को सायंकाल 6:00 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा । आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय (प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक) आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। अभ्यर्थी आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10- विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।

11- अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर

अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
₹ 250/-	₹ 500/-

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज़ करा सकते है :-

हेल्पलाइन - 0755-6720200

नोट : यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983

एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, (मध्य प्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)
ऑफिस ब्लाक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,
अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम. पी. नगर,
भोपाल-462011 हेल्पलाइन - 0755-6720200

3- आवेदन की अंतिम तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 24.10.2025 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें:-

आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन-पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी स्थायी एवं वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखनुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के http:\\www.swavlambancard.gov.in के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा। अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि प्रमाण-पत्र में 40% या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों को देय आरक्षण तथा अन्य छूट का लाभ देय होगा।

शैक्षणिक अर्हताओं / अनुभव के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि ।

शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए । इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ————— आयोग के विज्ञापन क्रमांक 05/2025 दिनांक 04.09.2025 के अंतर्गत जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी (District Public Health Nurse Officer) के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। मै निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूँ

1. मै —————पुत्र/पुत्री श्री————— निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/————जिला ————,मध्य प्रदेश का/की मूल निवासी हूँ। यह घोषणा करता/ करती हूँ कि मै —————जाति का/की सदस्य हूँ जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।

2. मै शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मै सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/ आती हूँ।

दिनांक :- —————

हस्ताक्षर—————

नाम—————

आवेदन-पत्र क्रमांक —————

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
परिशिष्ट -1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- अनापत्ति प्रमाण-पत्र समयावधि में विभाग से प्राप्त करना आवेदनकर्ता की जिम्मेदारी है । जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/ विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है, उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/ साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6- अनुशासनिक निर्देश :- (परीक्षा संबंधी अनुदेश परीक्षा की स्थिति में)

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक / परीक्षक को न

जमा करते हुए अपने साथ ले गया हो।

तब आयोग द्वारा :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा

और/ या

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

एवं तब शासन द्वारा :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7- अनर्हताएँ:- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8- यात्रा व्यय का भुगतान :-

मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं है, मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।

(02) दृष्टिबाधित दिव्यांगजन अभ्यर्थी हेतु दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

(03) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हो।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा । इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, स्वयं के बैंक खाते का नम्बर, एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
(पूर्व नाम– लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

कार्यालय– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक

जिला–...............................

क्रमांक/स्थापना/2024/......................... दिनांक..............

अनुभव प्रमाण–पत्र

विभागीय सेवा रिकार्ड के संदर्भ में एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री/श्रीमती.............................. ....की ....पद पर, प्रथम नियुक्ति दिनांक .... है एवं प्रथम नियुक्ति आदेश क्रमांक ....तथा दिनांक .... है। उक्त आदेश में पदस्थापना स्थल .... है तथा विभाग अंतर्गत दिनांक..................................से निरंतर कार्यरत रहते हुए वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर/वरिष्ठ नर्सिंग ऑफिसर/मेट्रन/सिस्टर ट्यूटर/नर्सिंग अधीक्षक ग्रेड–2 (कार्यरत मूल पदनाम लिखे...), पद पर दिनांक .... से पदस्थ होकर कार्यरत है, नर्सिंग सेवा में संबंधित की 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होकर निरंतर नियमित पद पर कार्यरत हैं। उक्त प्रमाण–पत्र संबंधित के सेवा रिकार्ड से सत्यापन कर जारी किया गया है। (सेवा अनुभव में डाइजनॉन अवधि/ अवैतनिक अवधि को सम्मिलित नहीं किया गया है।) उक्त अवधि घटाये जाने के उपरांत वर्तमान में (म0प्र0लोक सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन की तिथी को) संबंधित की कुल सेवा अवधि ....वर्ष............माह ......दिवस होती है।

2/ संबंधित के विरूद्ध कोई न्यायालयीन प्रकरण/विभागीय जाँच/ लोकायुक्त प्रकरण प्रचलित नहीं है।

3/ संबंधित को किसी भी प्रकरण में दोषी नहीं पाया गया है/कोई दण्ड/कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है।

उपरोक्तानुसार 03 बिन्दुओं पर संबंधित के सेवा अभिलेख से परीक्षण उपरांत यह अनुभव प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर संबंधित स्थापना प्रभारी
नामः–
पदनामः–
मोबाईल कमांकः–

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
नाम.......................

पदमुद्रा

* नोट :– जिला चिकित्सालय में पदस्थ शासकीय सेवक सिविल सर्जन से प्रमाण–पत्र जारी करावें एवं अन्य संस्थाओं में पदस्थ शासकीय सेवक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रमाण–पत्र जारी करावें ।
* मध्यप्रदेश, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2022 संशोधित 08 जुलाई 2024 में जिला लोक स्वास्थ्य नर्स अधिकारी हेतु सीधी भर्ती के पद में आवेदन के लिए अनुभव हेतु यह प्रमाण–पत्र जारी किया जा रहा है।

भाग - "C"

विज्ञापन तिथि	:	**04.09.2025**
ऑनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	:	**25.09.2025**
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	**24.10.2025**
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की प्रारम्भ तिथि	:	**01.10.2025**
ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि-सुधार करने की अंतिम तिथि	:	**26.10.2025**
आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रेषित करने की अंतिम तिथि	:	**31.10.2025**
साक्षात्कार तिथि	:	**यथा समय घोषित की जाएगी ।**